

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

APP-A
crim-I

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

सेतोष केकर बनाम अजर सिंह
किस्म मुकदमा नं. 1 | इजराय / 2025 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21-4-25	वाद पत्र/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा <u>इजराय</u> द्वारा वकील श्री <u>देवेन्द्र कुमार खेन</u> पेश किया गया। सरिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु तलब किया जाकर दिनांक <u>28-5-2025</u> को पेश हो।	
19/5/2025	<p>अर्धीगण/डिडीपर आधिकारता के शीर्ष सुनवाई पर पत्र पर पत्रावली आप तारीख पेशी में तलब की गयी। अर्धीगण व अर्धीगण के मुख्य राजीनामा हो जाने से अर्धीगण पर राजीनामा पेश करने का बत पेश किया गया। उपस्थित पक्षकारान के आदेशों पर हस्ताक्षर करवाये जाने राजीनामा अर्धीगण पत्र की पुस्त पर हस्ताक्षर करवाये जाकर राजीनामा तस्वीर किया गया। पत्रावली में राजीनामा होने से पत्रावली के आदेश-चलवाया जाना उचित नहीं होने से पत्रावली खारिज की जाकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर साखिल उपर हो।</p>	<p>रि इजराय सन्तोश Id अतुल कुमार (अनुपस्थित)</p> <p>केकर</p> <p>पप्पु सिंह</p> <p>श्री राजेश R.S.S. 19/5/25 (R.S.S. 19/5/25)</p>